न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 65/2022
रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/80

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

1. श्री संजय पुत्र श्री अमृतलालजी पंचौरी मैसर्स – पदम श्री एण्टरप्राईजेज, पुराना बस स्टेण्ड, बांसवाडा।
2- **Devendra Kumar Mohanbhai Gajera (Nominee) Emami Agrotech Ltd. Plot-49, SIPC Kandla (Gujarat)**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी बांसवाडा (राज.) हाल सिरोही के द्वारा दिनांक 25–11–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 28–04–2022 को दौराने गस्त 12.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स – पदम श्री एण्टरप्राईजेज, पुराना बस स्टेण्ड, बांसवाडा पर पहुंचा तो वहाँ पर श्री संजय पुत्र श्री अमृतलालजी पंचौरी मिले, उन्होने बताया कि वह मालिक है। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स– पदम श्री एण्टरप्राईजेज, पुराना बस स्टेण्ड, बांसवाडा का निरीक्षण करने पर दुकान में **Refined Soyabean Oil (Brand Best Choice)** के 300 पाउच 500–500 एम.एल की रखी हुई थी। **Refined Soyabean Oil (Brand Best Choice)** जिसमे मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **Refined Soyabean Oil (Brand Best Choice)** की 4 मूल पैक पाउच वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा कीमत 400/– रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Refined Soyabean Oil (Brand Best Choice)** की 4 मूल पाउच पर तैयार किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1072** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/188–189 दिनांक 19–05–2022 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 521 दिनांक 12–05–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Refined Soyabean Oil (Brand Best Choice)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1072** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई, नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नही की है।

1 **श्री संजय पुत्र श्री अमृतलालजी पंचौरी मैसर्स – पदम श्री एण्टरप्राईजेज, पुराना बस स्टेण्ड, बांसवाडा** 2 **Devendra Kumar Mohanbhai Gajera (Nominee) Emami Agrotech Ltd. Plot-49, SIPC Kandla (Gujarat)** विक्रेता ने **Refined Soyabean Oil (Brand Best Choice)** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 29—11—2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 24—01—2023 को अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री राजकुमार जैन, श्री अनुराग जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं जवाब पेश हुआ। प्रस्तुत जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक को सैम्पल लेते वक्त यह ज्ञात था कि इसकी निर्माता कंपनी है परन्तु उसके द्वारा धारा 47(1) के प्रावधानो के विपरित जाकर अभियुक्त सं. 2 एवं कम्पनी (खाद्य निर्माता) को फार्म V.A की प्रतिलिपि अभियुक्त सं. 2 एवं कम्पनी (खाद्य निर्माता) को नही दी गयी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा/ नियम 2.4.1.4 सपठित 2.4.5 को पढा जावे तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म V(A) सभी अप्रार्थी को देना इसलिए अनिवार्य है जिससे अभियुक्त को उस सैम्पल की जांच किसी भी NABL Accredited/ FSSAI Notified Laboratory से कराया जा सके, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त संख्या 2 एवं कम्पनी (खाद्य निर्माता) को ना तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म V.A का नोटिस दिया गया और ना ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम धारा/ नियम 2.4.5.1 के अन्तर्गत दिये गये Statutory Right जिससे अभियुक्त संख्या 2 एवं कंपनी (खाद्य निर्माता) द्वारा उक्त सैम्पल की जांच किसी NABL Accredited/ FSSAI Notified Laboratory का मौका अभियुक्त सं. 2 एवं कम्पनी (खाद्य निर्माता) को दिया गया जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 2.4.5.1 का उल्लंघन है। आवेदक द्वारा नमूने को मिलावट के शक पर संग्रहित किया गया था परन्तु खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार नमूने में कोई मिलावट नही पाई गई।

नियम 2.4.1.1 व 2.4.1.2 के तहत आवेदक के लिए अनिवार्य है कि नमूना लेते वक्त स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर दस्तावेजो पर लिए जावे [illegible] प्रकरण में आवेदक द्वारा V.A पर स्वतंत्र गवाह के ना तो हस्ताक्षर कराए ना ही उसके द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया गया हो जिससे स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर लिए जा सके इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा जो सूची

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

गवाहान दी है वह सभी व्यक्ति विभाग के ही लोग है जिनको स्वतंत्र गवाह अंकित नही किया जा सकता, ऐसे में नमूना लेने की सारी कार्यवाही गलत की गई है।

आवेदक द्वारा 28.04.2022 को नमूने को मिलावट के शक के आधार पर नमूना संग्रहित करना बताया जबकि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार नमूने में कोई मिलावट नही पाई गई तथा नमूने को Misbrand बताया गया है। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो रिपोर्ट प्रकरण में प्रेषित की है इस आधार पर न्यायसंगत नही है कि खाद्य सुरक्षा 2011 के कानून को repeal कर नया कानून Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 लागू किया गया है। उपरोक्त नियम का अवलोकन किया जावे तो यह प्रतित होता है कि कानूनी तौर पर निम्नलिखित जानकारी लेबल पर दिया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार है –

1- Name of the Brand Owner
2- Address of the Brand Owner
3- FSSAI logo and license number of Brand Owner
4- License number of the Manufacurer if different from Brand Owner

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत नमूने के लेबल पर उपलब्ध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त सं. 2 एवं कम्पनी (खाद्य निर्माता) को ना तो खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट उपलब्ध करायी ना ही अभियुक्त सं. 2 एवं कंपनी (खाद्य निर्माता) को धारा 46(4) के अन्तर्गत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट को चुनौति देने वास्ते नोटिस दिया गया। आवेदक द्वारा शिकायत पत्र में 46(4) का नोटिस दिया जाना बताया गया है परन्तु किस दिन नोटिस दिया गया व किस दिन नोटिस अभियुक्तगण को प्राप्त हुआ ऐसी कोई जानकारी नही दी गई, साथ ही शिकायत पत्र में दस्तावेज सूची का भी कोई उल्लेख नही है ऐसे में यह नही माना जा सकता कि आवेदक द्वारा 46(4) का नोटिस जवाबी अभियुक्त को दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत [illegible] का कानूनी अधिकार है जिसके तहत उसके द्वारा खाद्य विश्लेषक की [illegible] अभिहित अधिकारी के समक्ष पेश कर नमूने की जांच रेफरल फूड लेबोरेटरी से करा [illegible]कता था परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी के उपरोक्त वर्णित कृत्य से अभियुक्त सं. 2 एवं कंपनी (खाद्य निर्माता) का कानूनी अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अन्तर्गत धारा 46(4) नही दिया जो कानून के प्रावधानो के विपरित है। इससे यह साबित होता है कि जो परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुआ है वह अभियुक्त सं. 2 एवं कम्पनी (खाद्य निर्माता) के मूल अधिकार अन्तर्गत धारा 46(4) के विपरित पेश हुआ है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि जवाब को पत्रावली पर लिया जाकर वर्तमान परिवाद को निरस्त कर अभियुक्त सं. 2 को उक्त परिवाद से मुक्ति प्रदान करे।

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से दिनांक 04.04.2023 को अतिरिक्त जवाब पेश किया जिसका संक्षेप में उल्लेख इस प्रकार है कि प्रकरण में आवेदक द्वारा नोटिफिकेशन एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 के तहत अपनी नियुक्ति होने के दस्तावेज पेश किये किन्तु उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो कि आवेदक के पास Food Safety Officer की qualification अंतर्गत Rule 2.1.3 of Food Safety Rules हो। इस प्रकार आवेदक द्वारा जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहा है वह खाद्य सुरक्षा के नियम व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत है इसलिए भी प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है।

दिनांक 18.04.2023 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री नीरज पटेल अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2)(d)(i) सपठित धारा 26(4) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 वास्ते अभियुक्त सं. 1 को दोष मुक्त करने पेश हुआ।

दिनांक 05.01.2024 को अप्रार्थी सं. 2 की ओर से लिखित बहस पेश की गई। जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रकरण में आवेदक द्वारा नोटिफिकेशन एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 के तहत अपनी नियुक्ति होने के दस्तावेज पेश किये किन्तु उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो कि आवेदक के पास Food Safety Officer की qualification अंतर्गत Rule 2.1.3 of Food Safety Rules हो। इस प्रकार आवेदक द्वारा जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहा है वह खाद्य सुरक्षा के नियम व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:14:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा बिना कम्पनी को पक्षकार बनाये उसके नोमिनी को पक्षकार बनाकर प्रकरण दर्ज किया गया जो कि धारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विपरीत है। धारा 66 में अनिवार्य है कि जब किसी कम्पनी कोई अपराध किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था, साथ ही कंपनी को भी

अपराध का दोषी माना जाएगा। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कंपनी को पक्षकार बनाए कंपनी के नोमिनी को पक्षकार बनाया गया है जो कि न्यायसंगत नही है तथा धारा 66 खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त सं. 2 एवं कम्पनी (खाद्य निर्माता) को ना तो खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट उपलब्ध करायी ना ही अभियुक्त सं. 2 एवं कंपनी (खाद्य निर्माता) को धारा 46(4) के अन्तर्गत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट को चुनौति देने वास्ते नोटिस दिया गया। आवेदक द्वारा शिकायत पत्र में 46(4) का नोटिस दिया जाना बताया गया है परन्तु किस दिन नोटिस दिया गया व किस दिन नोटिस अभियुक्तगण को प्राप्त हुआ ऐसी कोई जानकारी नही दी गई, साथ ही शिकायत पत्र में दस्तावेज सूची का भी कोई उल्लेख नही है ऐसे में यह नही माना जा सकता कि आवेदक द्वारा 46(4) का नोटिस जवाबी अभियुक्त को दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त का कानूनी अधिकार है जिसके तहत उसके द्वारा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट को जरिए अपील पदाभिहित अधिकारी के समक्ष पेश कर नमूने की जांच रेफरल फूड लेबोरेटरी से करा सकता था परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी के उपरोक्त वर्णित कृत्य से अभियुक्त सं. 2 एवं कंपनी (खाद्य निर्माता) का कानूनी अधिकार अन्तर्गत धारा 46(4) नही दिया जो कानून के प्रावधानो के विपरित है। इससे यह साबित होता है कि जो परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुआ है वह अभियुक्त सं. 2 एवं कम्पनी (खाद्य निर्माता) के मूल अधिकार अन्तर्गत धारा 46(4) के विपरित पेश हुआ है। इस कारण खारिज योग्य है। इसी सन्दर्भ में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय अपने आदेश दिनांक 23.02.2022 Writ Petition No. 59039/2015(GM) titled Iqbal Syed sab Dafedher Vs. Food Safety Inspector and another में अवलोकन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष मिसब्राण्डेड की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसे नोटिस अन्तर्गत धारा 46(4) नही मिलने पर चुनौती दी गई थी। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह माना कि जो अभियोजन प्रारंभ किया गया है वह खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट पर किया गया है, जिसमें खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के खिलाफ अपील करने का मौका नही दिया गया, जिसे त्रुटिपूर्ण मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा परिवाद को खारिज किया गया। इसी अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा M/S Alkem Laboratories Ltd. Vs The State of Madhya

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Pradesh में अपने आदेश दिनांक 29.11.2019 में यह सुस्थापित किया है कि "Adulterated" की परिभाषा में "Misbranded" आता है इसलिए खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के खिलाफ अपील दायर करने का अवसर देना अनिवार्य है। यदि नही दिया जाता है तो समस्त कार्यवाही इस आधार पर खारिज योग्य है। आदेश का ऑपरेटिव भाग लिखित बहस में प्रस्तुत किया है।

आवेदक को सैम्पल लेते वक्त यह ज्ञात था कि इसकी निर्माता कंपनी है परन्तु उसके द्वारा धारा 47(1) के प्रावधानो के विपरित जाकर अभियुक्त सं. 2 एवं कम्पनी (खाद्य निर्माता) को फार्म V.A की प्रतिलिपि अभियुक्त सं. 2 एवं कम्पनी (खाद्य निर्माता) को नही दी गयी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा/ नियम 2.4.1.4 सपठित 2.4.5 को पढा जावे तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म V(A) सभी अप्रार्थी को देना इसलिए अनिवार्य है जिससे अभियुक्त को उस सैम्पल की जांच किसी भी NABL Accredited/ FSSAI Notified Laboratory से कराया जा सके, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त संख्या 2 एवं कम्पनी (खाद्य निर्माता) को ना तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म V.A का नोटिस दिया गया और ना ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम धारा/ नियम 2.4.5.1 के अन्तर्गत दिये गये Statutory Right जिससे अभियुक्त संख्या 2 एवं कंपनी (खाद्य निर्माता) द्वारा उक्त सैम्पल की जांच किसी NABL Accredited/ FSSAI Notified Laboratory का मौका अभियुक्त सं. 2 एवं कम्पनी (खाद्य निर्माता) को दिया गया जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 2.4.5.1 का उल्लंघन है। आवेदक द्वारा नमूने को मिलावट के शक पर संग्रहित किया गया था परन्तु खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार नमूने में कोई मिलावट नही पाई गई। इस आधार पर प्रस्तुत शिकायत पत्र खारिज योग्य है।

प्रस्तुत प्रकरण में नियम 2.4.1.1 व 2.4.1.2 के तहत आवेदक के लिए अनिवार्य है कि नमूना लेते वक्त स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर दस्तावेजो पर लिए जावे। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा V.A पर स्वतंत्र गवाह के ना तो ह[illegible] ाए ना ही उसके द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया गया हो जिससे स्वत[illegible] सके इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा जो सूची गवाहान दी है वह सभी व्यकि[illegible] विभाग के ही लोग है जिनको स्वतंत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

गवाह अंकित नही किया जा सकता, ऐसे में नमूना लेने की सारी कार्यवाही गलत की गई है। जिस कारण सम्पूर्ण प्रकरण अपोषणीय होने के कारण खारिज योग्य है।

प्रस्तुत प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.04.2022 को नमूना लिया गया था जिसका खाद्य विश्लेषण दिनांक 02.05.2022 से 12.05.2022 को खाद्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा किया गया जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 12.05.2022 को तैयार की गई है। यहॉ यह अकित करना आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 43 के अन्तर्गत NABL लेबोरेट्री प्रयोगशाला द्वारा ही नमूने की जांच की जा सकती है। चूकि प्रस्तुत प्रकरण में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट NABL की रिपोर्ट नही होने के कारण धारा 43 के अन्तर्गत कानूनी महत्व नही रखती है इसलिए प्रस्तुत प्रकरण खारिज योग्य है। इसी सन्दर्भ में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (L) No. 1688/2015 titled M/S Nestle India Limited Vs. Food Safety and Standards Authority of Indian & others ने अपने आदेश दिनांक 13.08.2015 के पैरा 118 मे आदेश का ऑपरेटिव भाग लिखित बहस में प्रस्तुत किया है।

आवेदक द्वारा 28.04.2022 को नमूने को मिलावट के शक के आधार पर नमूना संग्रहित करना बताया जबकि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार नमूने में कोई मिलावट नही पाई गई तथा नमूने को Misbrand बताया गया है। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो रिपोर्ट प्रकरण में प्रेषित की है इस आधार पर न्यायसंगत नही है कि खाद्य सुरक्षा 2011 के कानून को repeal कर नया कानून Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 लागू किया गया है। उपरोक्त नियम का अवलोकन किया जावे तो यह प्रतित होता है कि कानूनी तौर पर निम्नलिखित जानकारी लेबल पर दिया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार है –

1- Name of the Brand Owner
2- Address of the Brand Owner
3- FSSAI logo and license number of Brand Owner
4- License number of the Manufacurer if different from Brand Owner

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत नमूने के लेबल पर उपलब्ध है।

इस प्रकार परिवाद निरस्त कर अभियुक्त सं. 2 को उक्त परिवाद से मुक्ति प्रदान करने निवेदन किया।

दिनांक 05.03.2024 को अभियुक्त सं. 2 की ओर से रिपोर्ट दिनांक 12.04.2022 का विश्लेषण पेश किया जिसमे उल्लेख किया गया कि खाद्य विश्लेषक द्वारा दिनांक 12.04.2022 को नमूने जांच रिपोर्ट में Manufacturer का Complete address नही होने के कारण मिथ्याछाप घोषित किया गया। इस सन्दर्भ में माननीय न्यायालय से निवेदन है कि FSS (Labeling and Display) Regulations, 2020 दिनांक 1 जनवरी 2022 को लागू कर दिए गए थे। उपरोक्त नियम के नियम 5(6)(ए) के अनुसार यदि brand owner के साथ "qualify word" "manufactured by" या "marketed by" brand owner के साथ अंकित है तो नियम 5 (6) (ए) FSS (Labeling and Display) Regulations, 2020 की compliance मानी जावेगी। प्रस्तुत नमूने के लेबल का अवलोकन किया जावे तो यह साफ है कि लेबल पर brand owner "marketed by" के साथ नाम व पता साफ तौर पर अंकित है खाद्य सुरक्षा द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थिति को थ।फ के माध्यम से और स्पष्ट करते हुए सवाल सं. 34 में यह साफ किया है कि यदि brand owner और manufacturer दोनो एक ही है तो brand owner का नाम व पता अलग से अंकित करने की आवश्यकता नही है। FAQ और लेबल की प्रति संलग्न है। प्रस्तुत प्रकरण में भी brand owner जो है वो ही manufacturer है इसलिए जो त्रुटी खाद्य विश्लेषक द्वारा अंकित की है वो कानूनी तौर से गलत है।

नमूने को मिथ्याछाप घोषित करने का एक कारण लेबल पर निर्माता कंपनी का incomplete address होना बताया है खाद्य सुरक्षा कानून 2006 की धारा 16(5) के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.07.2018 व 17.01.2020 को जारी कर सम्पूर्ण भारत के आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को नि[illegible]या है कि लेबल पर कोई भूल/ त्रुटि से नमूने की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़[illegible] अवस्था में धारा 32 में वर्णित शक्तियों का उपयोग कर खाद्य कारोबारकर्ता [illegible] सुधार सूचना (improvement Notice) देकर भूल/ त्रुटि का सुधार करने का मौका दिया जाना सन्तोषपूर्ण होगा। प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

प्रकरण जैसा ही एक प्रकरण माननीय खाद्य सुरक्षा अपीलीय प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या एफएसएटी 7/2021 उनवानी शिवकुमार गोयल व अन्य बनाम कुलदीप सिंह सुमन खाद्य सुरक्षा अधिकारी में अपने आदेश दिनांक 23.07.2022 को यह निर्देशित किया है कि अधिसूचना दिनांक 17.08.2018 व 17.01.2020 को ध्यान में रखते हुए धारा 32 के तहत सुधार सूचना (improvement Notice) दिया जाना अनिवार्य है अगर नही दिया जाता है तो इस अवस्था में धारा 16(5) के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही अपोषनिय होने से खारिज योग्य होगी प्रस्तुत प्रकरण में नमूने पर जो उल्लंघन बताया है उसे धारा 32 के तहत improve किया जा सकता है क्योंकि इससे नमूने की गणवत्ता पर कोई प्रभाव नही पड रहा है परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा धारा 32 का नोटिस नही देना खाद्य विभाग की उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के विपरीत होने के कारण प्रस्तुत परिवाद खारिज होने योग्य है।

दिनांक 08.11.2024 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी हाल सिरोही ने बहस के दौरान कथन किया कि दिनांक 28.04.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नाटिफिकेशन क्रमांक एच/ पीएफए/ नोटीफिकेशन/ 2011/ 440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऍ, राजस्थान जयपुर के आदेश एफएसएसए/ 2020/ 1041 दिनांक 31.12.2020 से बांसवाडा कार्यक्षैत्र आवंटित किया गया।

विभागीय पैरोकार द्वारा अपने न्याय निर्णयन आवेदन में प्रस्तुत बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक **28–04–2022** को दौराने गस्त 12.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स – पदम श्री एण्टरप्राईजेज, पुराना बस स्टेण्ड, बांसवाडा** पर पहुंचा तो वहाँ पर **श्री संजय पुत्र श्री अमृतलालजी पंचौरी** मिले, उन्होने बताया कि वह मालिक है। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स– पदम श्री एण्टरप्राईजेज, पुराना बस स्टेण्ड, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में **Refined Soyabean Oil (Brand Best Choice)** के 300 पाउच 500–500 एम.एल की रखा हुई थी। **Refined Soyabean Oil (Brand Best Choice)** जिसमे मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा. (राज.)

में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **Refined Soyabean Oil (Brand Best Choice)** की 4 **मूल पैक पाउच** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 400/– रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। 5 ए की असल प्रति एवं रसीद माल खरीद असल प्रति के साथ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Refined Soyabean Oil (Brand Best Choice)** की **4 मूल पाउच के चार नमूना भाग तैयार किये गए जिस** पर तैयार किये गये लेबल तैयार किये। प्रत्येक भाग पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1072** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/188–189 दिनांक [illegible]–2022 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त [illegible] 12–05–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Refined Soyabean Oil (Brand Best Choice)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1072** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:24 IST
Reason: Self Attested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

safety and standerds act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई, नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नही की है।

1 **श्री संजय पुत्र श्री अमृतलालजी पंचौरी मैसर्स – पदम श्री एण्टरप्राईजेज, पुराना बस स्टेण्ड, बांसवाडा 2 Devendra Kumar Mohanbhai Gajera (Nominee) Emami Agrotech Ltd. Plot-49, SIPC Kandla (Gujarat)** विक्रेता ने **Refined Soyabean Oil (Brand Best Choice)** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने बहस दौरान कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा नमूना सील पैक खरीद किया गया उसे उसी सील पैक के रुप में बेचान करने के लिये दुकान पर रखा गया। यदि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 80(2) (डी) (1) में यह सुस्थापित है कि खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा जिस रुप में माल खरीद किया गया है उसी रुप में माल खरीद किया गया है यदि उसी रुप में बेचान किया जाता है तो ऐसी अवस्था में पैकशुदा माल खरीद कर बेचान का व्यवसाय करने वाले खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दोषी नही करार दिया जा सकता है। अतः दोषमुक्त करने की कृपा करे।

अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने कथन किया कि पूर्व में लिखित बहस प्रस्तुत की गई है। नमूने को मिथ्याछाप घोषित करने का एक कारण लेबल पर निर्माता कंपनी का incomplete address होना बताया है खाद्य सुरक्षा कानून 2006 की धारा 16(5) के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.07.2018 व 17.01.2020 को जारी कर सम्पूर्ण भारत के आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को निर्देशित किया है कि लेबल पर कोई भूल/त्रुटि से नमूने की गुणवत्ता पर कोई असर नही पड रहा उस अवस्था में धारा 32 में वर्णित शक्तियों का उपयोग कर खाद्य कारोबारकर्ता [illegible]र सूचना (improvement Notice) देकर भूल/ त्रुटि का सुधार [illegible] किया जाना अपेक्षित था। प्रस्तुत प्रकरण में नमूने पर जो उल्लंघन बताया है उसे धार[illegible]2 के तहत improve किया जा सकता है क्योंकि इससे नमूने की गणवत्ता पर कोई प्रभाव नही पड रहा है परन्तु खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:24 IST
Reason: SelfAttested

सुरक्षा अधिकारी द्वारा धारा 32 का नोटिस नही देना खाद्य विभाग की उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के विपरीत होने के कारण प्रस्तुत परिवाद खारिज होने योग्य है।

हमने पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत बहस तथा अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से लिखित बहस में कथन कि " प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा बिना कम्पनी को पक्षकार बनाये उसके नोमिनी को पक्षकार बनाकर प्रकरण दर्ज किया गया जो कि धारा 66 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विपरीत है। धारा 66 में अनिवार्य है कि जब किसी कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था, साथ ही कंपनी को भी अपराध का दोषी माना जाएगा। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कंपनी को पक्षकार बनाए कंपनी के नोमिनी को पक्षकार बनाया गया है जो कि न्यायसंगत नही है तथा धारा 66 खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है।" प्रत्रावली का अवलोकन करने पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा के पत्रांक एफएसएसए/ 2022/**W-** 1072 दिनांक 02.08.2022 से इमामी एग्रोटेक लिमिटेड, कांडला से फर्म के मालिक/ मैनेजर/ भागीदारो की सूची/ नामिनी की सूचना चाहे जाने पर इमामी एग्रोटेक लिमिटेड, कांडला द्वारा दिनांक 24.08.2022 को एफएसएसआई लाईसेंस की प्रति व नामिनी से सम्बन्धित विवरण ही प्रषित किया है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ निर्माता ने विभाग द्वारा चाही गई समस्त सूचना/ विवरण उपलब्ध नही करवाया है। खाद्य निर्माता स्वयं द्वारा मात्र नोमिनी का विवरण प्रेषित कर इतिश्री कर दिया गया है एवं चुकि नियमानुसार यदि कोई कंपनी अपनी फर्म मे नोमिनी को नामित करती है तो नामिनी ही इस प्रकरण में समस्त जिम्मेदारी वहन करने का अधिकारी है। इस सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत फॉर्म नं. 9 में नामिनी की पूर्ण सूचना संधारित की जाती है जिस पर कम्पनी के सभी निदेशक/ भागीदार/ मालिक/ खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा नोमिनी को नामित किया जाता है। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की रिपोर्ट 521 दिनांक 12.05.2022 से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया नमूना **Refined Soyabean Oil (Brand Best Choice)** पर खाद्य निर्माता का पता अंकित नहीं दिया गया है जो विनियमन सं. (5)(6) FSS (Labeling and Display) Regulations का स्पष्ट उल्लंघन है। जिस कारण उक्त नमूना Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

and standards act 2006 घोषित किया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड पाया गया **Refined Soyabean Oil (Brand Best Choice)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री संजय पुत्र श्री अमृतलालजी पंचौरी मैसर्स – पदम श्री एण्टरप्राईजेज, पुराना बस स्टेण्ड, बांसवाडा को रूपये 5000/– (अक्षरे पांच हजार रुपया मात्र), अप्रार्थी Sh. Devendra Kumar Mohanbhai Gajera (Nominee) Emami Agrotech Ltd. Plot-49, SIPC Kandla (Gujarat) को** लेबल पर त्रुटि को सुधारने निर्देश दिये जाकर **रूपये 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रुपया मात्र), से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 08/11/24 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:24 IST
Reason: SelfAttested